भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1128

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2021

मोबाइल टावर रेडिएशन (विकिरण)

1128. श्री नीरज डांगीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मोबाइल टावर हैं और उनके लिए विकिरण संबंधी मानदंड क्या है;

(ख) क्या दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा उक्त मानदंडों के उल्लंघन के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और यदि हां , तो विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उन पर सेवा प्रदाता-वार कितनी राशि का शास्ति लगाई गई

(ग) सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान कितनी जुर्माना राशि संग्रहित की साथ ही तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए अन्य सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) दिनांक 22.07.2021 की स्थिति के अनुसार देश में 6,63,411 मोबाइल टॉवर हैं। मोबाइल टॉवर की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक-1** के रुप में संलग्न है। पूरे भारत में विभिन्न मोबाइल टॉवर में संस्थापित बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बी.टी.एस.) के लिए यथा निर्धारित वर्तमान इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड (ई.एम.एफ.) विकिरण सीमाएं निम्नानुसार हैः

आवृति रेंज	ई-फील्ड स्ट्रेंथ (वोल्ट/मीटर)	एच-फील्ड स्ट्रेंथ (एम्पीयर/मीटर	पावर डेंसिटी (वाट/वर्गमीटर
400 मेगाहर्टज से 2000 मेगाहर्टज	$0.434\ f^{1/2}$	$0.0011\ f^{1/2}$	f/2000
2 गीगाहर्टज से 300 गीगाहर्टज	19.29	0.05	1

(f मेगाहर्टज में प्रचालन की फ्रिक्वेंसी है)

(ख) जी, हां। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान किए गए ऐसे उल्लंघनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण तथा वास्तविक परीक्षण के पश्चात निर्धारित ई.एम.एफ. विकिरण सीमाओं से अधिक

विकिरण पाये जाने पर लगाए गए शास्ति का दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी.एस.पी.)-वार ब्यौरा **संलग्नक-2** के रुप में संलग्न है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वसूले गए जुर्माने का ब्यौरा **संलग्नक-3** के रुप में संलग्न है।

(घ) सरकार ने निर्धारित मानकों के उल्लंघन की निगरानी करने के लिए एक सुसंगठित प्रक्रिया और तंत्र स्थापित किया है ताकि दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी.एस.पी.) बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बी.टी.एस.) स्थल की वाणिज्यिक शुरुआत से पूर्व स्व-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने सहित निर्धारित मानदंडों का पालन कड़ाई से करें। दूरसंचार विभाग की फील्ड यूनिटें यादृच्छिक आधार पर वार्षिक रुप से 10% तक बीटीएस साइट का नियमित रूप से ई.एम.एफ. संपरीक्षण भी करता है।

सरकार ने दिनांक 20.11.2013 से निर्धारित ई.एम.एफ. मानदंडों के उल्लंघन के जुर्माने को 5 लाख रुपए से दोगुना बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति बी.टी.एस. प्रति घटना कर दिया है और दिनांक 29.03.2019 को जुर्माने को पुन: बदलते हुए 20 लाख रुपए प्रति साइट कर दिया है।

संग्लानक1

दिनांक 22.07.2021 की स्थिति के अनुसार मोबाइल टॉवर की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सकल योग
1	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	263
2	आंध्र प्रदेश	23863
3	अरुणाचल प्रदेश	1226
4	असम	15148
5	बिहार	34570
6	चंडीगढ़	1160
7	छत्तीसगढ़	13286
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	411
9	दिल्ली	20263
10	गोवा	1515
11	गुजरात	40629
12	हरियाणा	21189
13	हिमाचल प्रदेश	7893
14	जम्मू और कश्मीर	9818
15	झारखंड	17629
16	कर्नाटक	43186
17	केरल	18989
18	लद्दाख	412
19	लक्षद्वीप	32
20	मध्य प्रदेश	35936
21	महाराष्ट्र	69254
22	मणिपुर	2302
23	मेघालय	1840
24	मिजोरम	1042
25	नागालैंड	1427
26	ओडिशा	21739
27	पुदुच्चेरी	682
28	पंजाब	21348
29	राजस्थान	35869
30	सिक्किम	650
31	तमिलनाडु	44168
32	तेलंगाना	25836
33	त्रिपुरा	2318
34	उत्तर प्रदेश	77114
35	उत्तराखंड	8150

36	पश्चिम बंगाल	42254
सकल योग		**6,63,411**

संग्लानक2

<u>पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ईएमएफ विकिरण मानदंडों के उल्लंघन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण और दूरसंचार सेवा प्रदाता वार लगाए गए जुर्माने का विवरण</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्तीय वर्ष**	**उल्लंघन का ब्यौरा**		**दूरसंचार सेवा प्रदाता -वार लगाया गया जुर्माना**
		उन टॉवरों/साइटों की संख्या जहां ईएमएफ विकिरण तय सीमा से अधिक पाये गये	**उल्लंघन करने वाले बीटीएस की संख्या**	
पश्चिम बंगाल	2016-17	1	1	वीआईएल- 20,00,000 रुपए
जम्मू एवं कश्मीर	2017-18	1	9	एयरटेल-33,09,277 रुपए; एयरसेल- 10,38,644 रुपए, वोडाफोन- 20,00,000 रुपए, आइडिया- 72,044 रुपए
कर्नाटक	2016-17	2	16	एयरटेल - 4800000 रुपए, टीटीएसएल- 460000 रुपए, वोडाफोन - 6560000 रुपए
	2017-18	5	42	एयरटेल- 8380000 रुपए, आइडिया- 460000 रुपए, आरकॉम- 1780000 रुपए, आरजेआईएल- 3660000 रुपए, टीटीएसएल- 3580000 रुपए, वोडाफोन- 4440000 रुपए
	2018-19	3	20	एयरटेल- 1980000 रुपए, आरजेआईएल- 9740000 रुपए, वोडाफोन- 900000 रुपए
	2019-20	3	15	एयरटेल- 7480000 रुपए, आरजेआईएल- 6000000 रुपए, वोडाफोन - 4700000 रुपए
केरल	2020-21	1	2	आरजेआईएल-40,00,000 रुपए
महाराष्ट्र	2016-17	1	1	आरजेआईएल - 20,00,000 रुपए
तमिलनाडु	2018-19	4	30	एयरटेल: 89,20,000 रुपए वीआईएल(आइडिया): 2340000 रुपए वीआईएल (वोडाफोन): 5440000 रुपए आरजेआईएल: 20,00,000 रुपए

	2019-20	3	18	एयरटेल: 3120000 रुपए वीआईएल (वोडाफोन): 1320000 रुपए आरजेआईएल: 9400000 रुपए बीएसएनएल: 1400000 रुपए
तेलंगाना	2019-20	1	1	वीआईएल (आइडिया): 20,00,000 रुपए
	2020-21	1	7	एयरटेल: 5,20,000 रुपए वीआईएल ((आइडिया): 6,40,000 रुपए आरजेआईएल: 36,20,000 रुपए
मिज़ोरम	2017-18	1	1	वीआईएल: 20,00,000 रुपए

संग्ललनक3

पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा संग्रह की गई राशि

क्र.सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संग्रहित जुर्माने की राशि**
1	कर्नाटक	2016-2017= 52,60,000 रुपए, 2017-2018= 1,56,20,000 रुपए, 2018-2019= 0 रुपए, 2019-2020= 0 रुपए संग्रहित कुल जुर्माना = 2,08,80,000 रुपए
2	तमिलनाडु	2016-17: 94,25,000 रुपए 2017-18: 75,000 रुपए 2018-19: 20,55,000 रुपए 2019-20: 1,90,000 रुपए 2020-21: 41,40,000 रुपए संग्रहित कुल जुर्माना = 1,58,85,000 रुपए

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगाए गए जुर्माने की वसूली , जो कि **संग्ल नक2** में संदर्भित है, लंबित है क्योंकि लगाए गए जुर्माने को माननीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण (टी.डी.सैट.) के समक्ष चुनौती दी गई है।

*****